<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

12.08.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंफाल उप-आंचलिक कार्यालय ने सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तत्कालीन निरीक्षक, सेइखोलेन किपगेन तथा अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 5(1) के प्रावधानों के अंतर्गत मणिपुर के कांगपोकपी जिले और इंफाल पूर्वी जिले में स्थित **लगभग 1.99 करोड़ रुपये** कुल मूल्य की दो अचल संपत्तियों, जिनमें गृहस्थ भूमि तथा उस पर निर्मित आवासीय भवन शामिल हैं, को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी), इंफाल द्वारा सेइखोलेन किपगेन के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू किया। उक्त प्राथमिकी में यह आरोप है कि सेइखोलेन किपगेन के पास उसकी ज्ञात आय के स्त्रोतों से अधिक अनुपात में परिसंपत्तियां हैं। सीबीआई, एसीबी, इंफाल ने अनुसूचित अपराध के संबंध में सक्षम विशेष न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.12.2022 को आरोप-पत्र भी दाखिल किया है।

ईडी की जांच से पता चला कि 01.01.2015 से 03.12.2021 तक की जाँच अवधि के दौरान सेइखोलेन किपगेन और उसके परिवार के सदस्यों की परिसंपत्तियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है और ये परिसंपत्तियां उसकी आय के ज्ञात स्त्रोतों से लगभग **1.99 करोड़ रुपये** की राशि तक अनुपातहीन पाई गई। यह भी पता चला कि अवैध स्त्रोतों से अर्जित बेहिसाबी धनराशि को सेइखोलेन किपगेन ने सुरक्षित रखने हेतु अपने ससुर के पास रखा था, जिन्होंने उक्त धनराशि को अपने बैंक खाते में जमा किया और तत्पश्चात उसे सेइखोलेन किपगेन, उसकी पत्नी या तृतीय पक्षों को हस्तांतरित किया अथवा उसके निर्देश पर विक्रेताओं को सीधे भुगतान किया। इस प्रकार परतदार तरीके से विभिन्न माध्यमों से प्रवाहित की गई उक्त धनराशि का उपयोग उसकी पत्नी के नाम पर भूमि की खरीद तथा उस पर आवासीय भवन के निर्माण के लिए किया गया और इसे ससुर द्वारा दिए गए उपहार के रूप में प्रस्तुत करते हुए बेदाग

धनराशि के रूप में दर्शाया गया, जबकि प्रथमदृष्टया ससुर मात्र एक माध्यम था, जिसके पास ऐसा उपहार देने की कोई स्वतंत्र वित्तीय क्षमता नहीं थी।

ईडी जांच से आगे यह पता चला कि अवैध/बेहिसाबी धनराशि, जो अपराध से अर्जित आय का हिस्सा थी, का उपयोग अचल संपत्तियों के अधिग्रहण और/या निर्माण के लिए किया गया, जिनमें से एक संपत्ति सेइखोलेन किपगेन के नाम पर तथा दूसरी उसकी पत्नी श्रीमती वाहनेइथेम लूसी किपगेन के नाम पर है। तदनुसार, उक्त संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत अपराध से अर्जित आय के मूल्य को दर्शाने वाली संपत्तियों के रूप में अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

आगे की जांच जारी है।